(137)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1488–दो/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–9–2010 पारित द्वारा आयुक्त रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 45/2009–10 निगरानी

1– श्रीमती इन्द्रवती पत्नि स्व.गणेश प्रसाद मिश्र
2– द्वारकाप्रसाद 3– कामता प्रसाद पुत्रगण
स्व.गणेश प्रसाद मिश्र तीनों ग्राम पड़वा
तहसील हुजूर जिला रीवा हाल निवास
प्लाट नं. 12 विवेकानंद वार्ड यादव कालोनी
जबलपुर मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अना0 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 25-07-2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 45/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27–9–2010 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रामसजीवन पुत्र वासुदेव, नरेन्द्र कुमार पुत्र रामधार, महेन्द्रप्रसाद पुत्र रामधार, रावेन्द्र प्रसाद पुत्र रामधार निवासी

ग्राम जितोही ने कलेक्टर रीवा के समक्ष आवेदन देकर बताया कि ग्राम पड़वा तहसील हुजूर की नामान्तरण पंजी कमांक 8 आदेश दिनांक 5-3-82, पंजी कमांक 24 आदेश दिनांक 30-8-87, पंजी कमांक 27 आदेश दिनांक 8-5-85, पंजी कमांक 28 आदेश दिनांक 8-6-85 तथा तहसीलदार के प्रकरण कमांक 21/अ-6/1985-86 में पारित आदेश दिनांक 25-11-1985 से चोरी-चोरी भूमियों का नामान्तरण किया गया है इसलिये स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया जाय। कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 25/1998-99 अ-6 एंव पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 10 मई 2004 पारित करके पंजी कमांक 28 आदेश दिनांक 8-6-85 से किया गया नामान्तरण निरस्त कर दिया एंव प्रकरण तहसीलदार हुजूर को पक्षकारों की सुनवाई उपरांत गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के समक्ष दिनांक 27-8-2010 को निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसे आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 45/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-9-2010 से अवधि वाह्य पाकर निरस्त कर दिया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 45/2009-10 निगरानी में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 25/1998-99 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2004 के विरूद्ध

आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के समक्ष दिनांक 27-8-2010 को (6 वर्ष से अधिक समय वाद) निगरानी प्रस्तुत की गई है, जिसे आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 45/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-8-2010 से अवधि वाह्य पाकर निरस्त किया है एंव विवेचित किया है कि पक्षकार द्वारा नोटिस दिये जाने पर लेने इंकार किया है, जिसके कारण उन्हें प्रकरण चलने की जानकारी उसी समय से होना माना जायेगा, जिसके कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा आदेश दिनांक 27-9-10 में निकाले गये निष्कर्षो से असहमत होने का कोई कारण नहीं है। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को के दौरान बताया है कि इन्हीं भूमियों के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय से निर्णय हो चुका है जिसकी प्रति वह 10 दिवस में देंगे, किन्तु आदेश पारित होने के पूर्व तक आवेदक के अभिभाषक ने मान0 व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है । मान0 व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है, यदि मान0 व्यवहार न्यायालय से तदाशय के आदेश हुये है आवेदक तहसील न्यायालय में पालन कराने हेतु स्वतंत्र है।

5/ उपरोक्त विवेचना केआधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 45/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27-9-2010 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(प्र0एस0अनी)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर